


रिपोर्ट पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक-


श्रीमान जी, ग्रामी का नाम ग्राम वीवासर की जमाबंदी (2021-22) के अनुसार स. 132, 239 में ग्रामी का नाम महावीर पुत्र रामनाथ है जबकि दस्तावेजों में ग्रामी का नाम महावीर प्रसाद पुत्र रामनाथ है। ग्रामवसियों से बहस करने पर बताया कि उक्त नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

अतः श्रीमान ग्रामी का नाम महावीर पुत्र रामनाथ की बजाय महावीर प्रसाद पुत्र रामनाथ दुरुस्त किया जाना उचित है।

LR/ 312/21.6.23
प्रशासन मामलों के संग अधिवान-2023

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार-


17-6-23



प.ड. वीवासर
17/06/23

मुताबिक ग्राम रिपोर्ट पटवारी व इतर के महावीर पुत्र रामनाथ के स्थान पर महावीर प्रसाद पुत्र रामनाथ नाम विषय आने की प्राप्ति हुई है।


तहसीलदार
मुम्बई

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार महावीर पुत्र रामनाथ के स्थान पर महावीर प्रसाद पुत्र रामनाथ दुरुस्त किया जाने के आदेश किये जाते हैं। इसके में शेष दस्तावेज अभाव में हैं।


उपखण्ड अधिकारी
मुम्बई (राज.)

शिविर प्रभारी अधिकारी
(मोहर सहित)